न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. इस्माइल पुत्र गनी खां		1. तहसीलदार, परबतसर
2. गफूर खा पुत्र गनी खां मुसलमान सा. बागोट		2. नायब तहसीलदार भकरी

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलादराम मिर्धा , अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री राजेश कुमार मीणा राजपैरोकार

मुकदमां नम्बर :– 61/2019 निर्णय दिनांक :– 17/02/2020

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रहलाराम मिर्धा ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम बागोट के वक्त सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 228 था जिसका कुल रकबा 18–15 बीघा था कालान्तर में इस खसरा नम्बर 288 के बट्टा नम्बर पड़ गये जो खसरा नम्बर 228 रकबा 6–01 बीघा, 228/2 रकबा 1–12 बीघा, 288/3 रकबा 9–06 बीघा एवं खसरा नम्बर 228/4 रकबा 1–04 बीघा व खसरा नम्बर 228/5 रकबा 0.02 बीघा कुल 18–15 बीघा हैं इस जमीन में 1/2 हिस्सा जाटो का था जो मोतीराम पुत्र बोदूराम , रामदीन पुत्र बोदूराम पेमाराम पुत्र बोदूराम का था शेष 1/2 हिस्से में प्रार्थीगण के बडे पिता इब्राहीम व वादी के पिता गनी दोनो का था। कालन्तर में बोदूराम के लडके मोतीराम , रामदीन व पेमा ने अपना हिस्सा बटा लिया ओर उनका हिस्सा पूर्वी तरफ का 1/2 था और पश्चिमी तरफ का 1/2 हिस्सा नेनू लुहार मुसलमान के लडको इब्राहीम व गनी का था उक्त जमीन का ज्यादा हिस्सा खसरा नम्बर 228 कंवलाद बागोट सड़क के दक्षिण में आयी हुई हैं तथा थोड़ा सा हिस्सा खसरा न्बर 228/4 सड़क के उत्तर में खसरा नम्बर 554 आया हुआ हैं जो सेटलमेन्ट के नक्श से स्पष्ट साबित होता हैं। इस जमीन बाबत नेनू के लडके इब्राहीम व गनी ने एक वाद इसी न्यायालय में पेश किया था उसमें कोई रास्ता नहीं होने की बात दर्ज की थी और निवेदन किया गया की उनकी अनुपस्थिति में 228 मिन रकबा 5 बिस्वा उनको बिना सुने गलत दर्ज किया हैं तथा यह भी निवेदन किया की खसरा नम्बर 227 व 228 के बीच उत्तर से दक्षिणी कोई रास्ता नहीं हैं उक्त वाद इब्राहीम बनाम सरकार मुकदमां नम्बर 111/93 जिसका निर्णय दिनांक 31.08.2006 को किया गया तथा नेनू के लड़के इब्राहीम व गनी का वाद अस्वीकार कर दिया गया था। उक्त वाद के बाद प्रार्थीगण को कभी इस जमीन में रास्ता होने के बारे में किसी ने जिक नही किया तथा इब्राहीम व गनी ने उत्तराधिकारियों ने अपने 1/2 हिस्से का बंटवारा कर लिया 1/4 हिस्सा पूर्वी तरफ का इब्राहीम के उत्तराधिकारियों का तथा 1/4

17/2/2020
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

हिस्सा पश्चिमी तरफ का गनी के लडको का अर्थात प्रार्थीगण था तथा 1/4 हिस्सा गनी के लडको का था मौके पर आज भी दोनों पक्षकार काबिज हैं स्व. इब्राहीम के पुत्र हजारी व फकीर मोहम्मद ने इस जमीन के बंटवारे का दावा किया यह वाद हजारी बनाम गनी मुकदमां संख्या 68/2009 जिसका निर्णय पहले प्राथमिक डिक्री के तौर पर हुआ बाद में आरआई व पटवारी हल्का से मौके पर बंटवारा स्कीम मंगवाई जाकर दिनांक 19.12.2011 को निण्रय किया और उस निर्णय के अनुसार हम प्रार्थीगण गनी के पुत्रा का स्मपर्ण जमीन 1/4 हिस्सा पश्चिमी तरफ रखा गया इब्राहीम के वारिसान का 1/4 हिस्सा पूर्वी तरफ रखा गया ओर इसके पूर्व में 1/2 हिस्सा बोदूराम के वारिसान का रखा गया बंटवारा प्रस्ताव की नकल पेश है। कभी भी खसरा नम्बर 228 में किसी भी स्थान पर रास्ता होने का जिक्र नहीं हैं इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.12.2011 से नाराज होकर एक अपील हजारी पुत्र इब्राहीम के वारिसान ने आरएए नागौर में पेश की हैं जिसका निर्णय दिनांक 15.02.2018 को अपीलान्ट हजारी के पक्ष में होकर प्रकरण रिमाण्ड किया गया हैं। आर.ए.ए. नागौर के निर्णय के विरूद्ध अपील राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की गइ हैं जो विचाराधीन हैं तथा उसमें प्रार्थीगण को सुनकर दिनांक 22.02.2018 को आदेश दिया हैं कि विवादित आराजी का उभय पक्ष मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे। इस दौरान पुराने खसरा नम्बर 228 के नये खसरा नम्बर 560, 555, 559, 568 दर्ज किये गये तथा इस इन्द्राज के करने के समय प्रार्थीगण को कभी नहीं सुना गया न ही सुनने का अवसर दिया था। इस जमीन में मौके पर कही पर भी रास्ता नहीं हैं लेकिन प्रार्थीगण को एक नोटिस नायब तहसीलदार भकरी से दिया गया कि प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 559 गै.मु. रास्ते पर अतिकमण किया हैं जिसका जबाब देने हेतु जवाब पेश करने हेतु दस्तावेजो पेश करने हेतु समय मांग हैं, यह नोटिस आने के बाद प्रार्थीगण ने दस्तावेज व जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो खसरा नम्बर 228 के नये खसरा नम्बर व नक्श में इस्माइल व गनी के हिस्से की भूमि के नये खसरा नम्बर 560 जो सड़क के दक्षिण में हैं ओर 554 जो सड़क के उत्तर में है बना दिये गये हैं तथा इस खसरा नम्बर 560 के पश्चिम में एक रास्ता नक्शा में खसरा नम्बर 559 दर्ज पाया तथा एक रास्ता 559 के पश्चिम में खसरा नम्बर 568 दर्ज पाया इसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण को कभी नहीं सुना गया प्रार्थीगण के पीठ पीछे कार्यवाही की गई है। अभी नायब तहसीलदार भकरी का पद रिक्त होने व उसका चार्ज तहसीलदार परबतसर के पास होने से दिनांक 13.06.2019 को उनके द्वारा निर्णय कर दिया गया हैं। प्रार्थीगण की जमीन खसरा नम्बर 560 के पश्चिमी तरफ खसरा नम्बर 559 एक रास्ता निकालने का आदेश दिया हैं ओर दूसरा रास्ता ठीक इसी के पश्चिम में खसरा नम्बर 568 दर्ज हैं इस प्रकार खसरा नम्बर 558, व 560 के बीच दो रास्ते नक्शे में दर्शाय गये हैं लेकिन मौके पर दो रास्ते कतई नही हैं अप्रार्थी तहसीलदार परवतसर जबरदस्ती जेसीबी से रास्त निकालने पर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

उतारू है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को काफी निवेदन किया तथा कहा की प्रार्थीगण की जमीन में जो रास्ते दर्शाये गये है उक्त रास्ते रेकर्ड व नक्शे में कायम करते समय प्रार्थीगण को नहीं सुना गया है एक जगह दो रास्ते आज तक किसी भी जमीन पर रिकार्ड में कहीं पर भी नहीं है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ग्राम बागोट के गत खसरा नम्बर 228 जिसके नये खसरा नम्बर 560 हैं में नया रास्ता नहीं निकालने तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने हेतु पाबन्द किये जाने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी 1 व 2 की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार परबतसर दिनांक 29.07.2019 को जवाब पेश कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुऐ निवेदन किया हैं कि ग्राम बागोट के पुराना खसरा नम्बर 228 वक्त सेटलमेन्ट कुल रकबा 21 बीघा था नामान्तकरण संख्या 274 द्वारा खसरा नम्बर 228/1 रकबा 2 बीघा गै.मु. सडक सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज हो गई शेष रकबा 19 बीघा रहा नामान्तकरण संख्या 370 द्वारा पुराना खसरा नम्बर 228 रकबा 6–18 बीघा मे से 228 मिन 5 बिस्वा गौ.मु. रास्ता राज्य सरकार के खाते में चला गया खसरा नम्बर 228 के बेटा नम्बर डल गये खसरा नम्बर 228 रेकर्ड अनुसार गै.मु. रास्ता दर्ज था तथा मौके पर बन्द था क्योंकि खसरा न्मबर 227/3 जो गै.मु. रास्ता रकबा 4 बिस्वा राज. सरकार के पक्ष में समर्पण नामान्तकरण संख्या 783 द्वारा कराया गया था जो खसरा नम्बर 228 के पश्चिम में चिपता हुआ उत्तर से दक्षिण की तरफ रास्ता चालू था इसलिए खसरा नम्बर 228 गै.मु. रास्ता बंद था वर्तमान में खसरा न्मबर 228 पर धारा 91 की कार्यवाही चालू है। खसरा नम्बर 228 मिन रकबा 5 बिस्वा रास्ता उपखण्ड अधिकारी परबतसर के आदेश कमांक 1109 व 1110 दिनांक 05.08.1983 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 370 से दर्ज हुआ है। राजस्व मण्डल अजमेर से खातेदारी भूमि बाबत स्थगन आदेश हैं राजकीय रास्ते बाबत कोई स्थगन आदेश नहीं हैं खसरा नम्बर 559, 568 व 558 गै.मु. रास्ता दर्ज हैं तथा खसरा नम्बर 558, 559 एक दुसरे के समानान्तर हैं मौके पर एक ही जगह दो रास्ते हैं दोनो के खसरा नम्बर अलग अलग है दोनो रास्ते अलग अलग खातेदारो ने राज. सरकार के हक में समर्पण किये हैं दोनो रास्ते एक खातेदार के खेत में से नहीं हैं जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

3. प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जबाब पेश होने पर बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र सिद्ध करने के लिए तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति को सिद्ध करना आवश्यक हैं जिसका विवरण इस प्रकार हैं:–

17/2/2020
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

(अ) प्रथम दृष्टया मामला :-

इस बिन्दु को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था। इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही क्या है जिससे प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 228 जिसके नये खसरा नम्बर 560 मे कोई रास्ता दर्ज नहीं होना प्रतीत होता हो. प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में भी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन रहना बताया है तथा बंटवारा प्रस्ताव आदि लिया जाना बताया हैं लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है। प्रार्थीगण स्वंय ने स्वीकार किया है कि इस बाबत नेनू के लडके इब्राहीम व गनी ने एक दावा उपखण्ड न्यायालय मे पेश किया था जिसमे कोई रास्ता नहीं होने की बात दर्ज की थी और निवेदन किया गया की उनकी अनुपस्थिति में खसरा नम्बर 228 मिन रकबा 5 बिस्वा रास्ता उनके बिना सुने दर्ज किया गया हैं यह भी निवेदन किया गया था की खसरा नम्बर 227 व 228 के बीच उत्तर दक्षिण कोई रासता नहीं हैं वह दावा इब्राहीम बनाम सरकार मुकदमा नम्बर 113/1993 दिनांक 31.08.2006 को अस्वीकार किया गया है। जिससे स्पष्ट हैं कि प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की जानकारी सन् 1993 से ही हैं। नामान्तकरण संख्या 370 के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि खसरा नम्बर 228 रकबा 6-16 बीघा भूमि में से खसरा नम्बर 228 मिन रकबा 5 बिस्वा न्यायालय आदेश दिनांक 05.08.1983 से दर्ज हुआ है। खसरा नम्बर 227 में से खातेदारो द्वारा समर्पण करने पर जरिये समर्पण नामान्तकरण संख्या 783 द्वारा रास्ता राजकीय खाते में दर्ज हुआ है। जिसकी पुष्टि अप्रार्थीगण द्वारा जबाब के साथ प्रस्तुत नामान्तकरणों से होती है। उक्त दोनों रास्तो के वर्तमान खसरा नम्बर 558 व 559 है जो एक दुसरे के समानान्तर हैं जो राजकीय गै.मु. कटाणी रास्ते राज्य सरकार के खाते में दर्ज है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण सिद्ध करने में असफल रहे है।

(ब) सुविधा का सन्तुलन :-

इस बिन्दु को साबित करने का भार भी प्रार्थीगण पर था। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं जिससे राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते खसरा नम्बर 558 व 559 गै.मु. रास्ते राजकीय खाते में दर्ज नहीं होकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में होना साबित होता हो। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब व नामान्तकरण की नकलों से स्पष्ट होता हैं कि दोनों रास्ते विधिवत प्रकिया के तहत राजकीय खाते में दर्ज हुऐ हैं तथा खातेदारो द्वारा समर्पण करने पर रास्ते का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में हुआ हैं, रास्ता आम जन की सुविधा के लिय रखा जाता हैं, उक्त रास्ते को प्रार्थीगण स्वंय द्वारा बन्द कर रखा हैं राजकीय कटाणी रास्ते के बन्द होने के कारण अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा रही हैं जिससे असुविधा प्रार्थीगण को नहीं होकर अन्य आमजन को होना प्रतीत होता हैं जिससे सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के हक में सिद्ध नहीं होता है।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

(स) अपूर्णीय क्षति -

इस बिन्दु को साबित करने का भार भी प्रार्थीगण पर था। खसरा नम्बर 228 मिन रकबा 8 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 669 है यह रास्ता भी मूल खसरा नम्बर 228 के मूल खातेदार भी अप्रार्थीगण के पूर्वजो के साथ 1/2 हिस्से के सह खातेदार भोलूराम जाट रामेश्वर के वारिसान द्वारा दिये जाने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 370 से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है, तथा खसरा नम्बर 660 गै.मु. रास्ता मय खसरा नम्बर 227 के खातेदारो द्वारा राज हक में समर्पण करने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 783 से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से दोनों ही रास्तो की भूमि कम नहीं हुई है, तथा रास्ता आम जनता व आस पास के खातेदारो की सुविधा के लिये रखा गया है जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण कर रखा है जिसको खुलवाया जाता है तो इसमें प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है क्योकि दोनों रास्ते राजकीय खाते में दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि में कोई जबरन रास्ता कायम नहीं किया जा रहा है। जिससे अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण अपने हक में सिद्ध करने में असफल रहे है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति को प्रार्थीगण साबित करने में असफल रहे है। जिससे प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र साबित करने में असफल रहने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। यह आदेश आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नावां(नागौर)

Scanned by CamScanner